



2026:AHC:49461-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 272/2026

सेतु गर्ग .....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य .....विपक्षगण

अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता : मिथिलेश कुमार तिवारी

विपक्षी हेतु अधिवक्ता: मीनाक्षी सिंह (ए.सी.एस.सी.), आर.सी. सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता) के साथ रितुनेन्द्र सिंह, रंजीत वर्मा

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह अपील जनहित याचिका संख्या 193/2025 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2026 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया है।
2. जनहित याचिका इस आरोप के साथ दायर की गई थी कि विपक्षी संख्या 6 - निर्वाचित ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के खसरा प्लॉट संख्या 633मि, क्षेत्रफल 2.6710 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-छजमलपुर उर्फ छज्जुपुर, तहसील-मेरठ (सदर), जिला-मेरठ की विवादित भूमि पर अपने घर का निर्माण कर रहा था और उक्त निर्माण को हटाने के लिए राहत मांगी गई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. जवाबी हलफनामे दायर किए गए, जिसमें जिलाधिकारी ने अपने व्यक्तिगत हलफनामे में (जो विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों के अनुपालन में दायर किया गया था) स्पष्ट रूप से कहा कि जब खसरा संख्या 633मि का स्थलीय निरीक्षण किया गया, तो मौके पर विपक्षी संख्या 6 का कब्जा नहीं पाया गया, हालांकि, वह गाटा संख्या 454 पर निर्माण कर रहा है, जो श्रेणी 6-2 के तहत 'आबादी' के रूप में दर्ज है।
4. विपक्षी संख्या 6 की ओर से जवाबी हलफनामा दायर कर याची की साख पर सवाल उठाया गया और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अपने अधिकार का दावा किया गया, जिसमें खसरा संख्या 611 के लिए उसके पिता का नाम दर्ज पाया गया है।
5. हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश द्वारा, केवल इस तथ्य के आधार पर कि विचाराधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आबादी (श्रेणी 6-2 प्लॉट) के रूप में दर्ज थी और विचाराधीन प्लॉट 'मिनजुमला' प्लॉट था तथा उसका कोई विभाजन नहीं हुआ था, याचिका को खारिज कर दिया।
6. रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हमारा यह दृढ़ मत है कि याचिका में किए गए दावों और जवाबी हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर आई सामग्री को देखते हुए, इस मुद्दे का अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना आवश्यक था। याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि प्लॉट 'मिनजुमला' था और उसका विभाजन नहीं हुआ था, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाता कि विपक्षी संख्या 6 का उस संबंधित प्लॉट पर कोई अधिकार था जहाँ निर्माण किया जा रहा था; विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि विपक्षी संख्या 6 ग्राम प्रधान के पद पर है और ग्राम सभा द्वारा उठाई जा सकने वाली शिकायत में उक्त कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया जा रहा था।
7. मामले के उक्त परिप्रेक्ष्य में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 16.02.2026 कायम रखने योग्य नहीं है। विशेष अपील स्वीकार की जाती है। आदेश दिनांक 16.02.2026 को रद्द किया जाता है। मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजा जाता है।
8. पक्षकार 30.03.2026 को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होंगे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. विपक्षी, याची के 'लौकस स्टैंडार्ड' (locus standi - वैधानिक स्थिति) के मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि याचिका जनहित में नहीं है।
10. शामिल मुद्दों की प्रकृति को देखते हुए, यह अपेक्षा की जाती है कि मामले का निर्णय शीघ्रता के साथ किया जाएगा।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

मुकेश पाल/साज़िया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।